मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 65 | फरवरी, 2020 | अंक 2 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

बदलती परिस्थितियों और नई समझ के लिए नीति बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कृषि इको–सिस्टम सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक मैट्रिक्स विकसित करने के लिए सरकार को एक दीर्घकालिक अध्ययन करना चाहिए, जिससे किसानों को सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है ताकि वे पर्यावारण के संरक्षण के लिए किसान परिवार और भारत की खाद्य सुरक्षा की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकें।

एक सरल उदाहरण किसानों को वर्षा जल संचयन या पेड़ों के रखरखाव के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि मुश्किल हिस्सा, अलग पारिस्थितिकी के लिए एक विभेदित मैट्रिक तैयार करना है। उदाहरण के लिए, एक विशेष पेड़ को एक वर्षावन में और एक रेगिस्तान में अलग तरह से मूल्यवान माना जाता है। एक प्रणाली का दृष्टिकोण वर्तमान संरचना से इतना मौलिक रूप से भिन्न है और पिछले अनुभव ने बार–बार मान्य किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से एक के विकास की उम्मीद करना अनुचित होगा। एक प्रकार की कृषि प्रणाली को बनाए रखने के बाद, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि यह स्वयं शुद्ध होगी। एक और दो दशक खोने के बजाय, किसान संगठनों के एक संघ के साथ सहयोगात्मक प्रयास में शामिल होने की सलाह दी जाती है।

'डेयरिंग' पर आयकर लगाने के लिए एक अस्पष्ट प्रावधान है। या तो प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए या विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसमें डेयरी किसान शामिल नहीं हैं। डेयरी करना कृषि का एक हिस्सा है और भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य विषय है।

इसलिए, केंद्र सरकार डेयरी किसानों पर आयकर नहीं लगा सकती है और सभी, व्यक्तिगत डेयरी किसानों से कर संग्रह सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन हैं। इस तरह की खामियों को दूर करने से व्यापार करने में आसानी होती है, न कि अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्मों द्वारा रैंकिंग। संस्थागत खरीदारों (जैसे सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र) को प्रति लीटर 3 रूपये से कम कीमत पर दूध खरीदने के लिए अनिवार्य करनें की अधिसूचना भी सरकार को अपनी खोई हुई

कुछ राशि वापस पाने में मदद करेगी। बजट को आंकड़ों के अंतहीन संकलन से अधिक होना चाहिए; यह विचारों और सामग्री में से एक होना चाहिए।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

भारत की सामूहिक चेतना को जागृत करते किसान

* श्री नरेश मिनोचा

कृषि संकट की कई ऐसी घटनाऐं मौजूद हैं जिनका अध्ययन किया गया और उनकी रिपोर्ट को नौकरशाही ढंग से निपटा दिया गया। ऐसा ही एक मामला वर्ष 1970 में गृह–मंत्रालय द्वारा तैयार 'वर्तमान कृषि असंतोष के कारण और प्रकृति' के दस्तावेज का है। इन दस्तावेजों में कई सुधार और भूमि कानून लागू करने की कई सिफारिशें की गई थीं। इसे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में भी भेजा गया था।

मई 1970 में इस विषय पर पूछे गऐ एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा 'भूमि राज्यों के क्षेत्राधिकार में है, इस कारण केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्यों को कार्यवाही करने का परामर्श देना और उनसे अनुरोध करना है, और सरकार ने ऐसा कर दिया है'।

कृषि का कोई भी विधार्थी इस बात पर सहमत होगा कि समाधानों का अभाव नहीं है, ये समाधान विभिन्न आयोगों/विशेषज्ञ समितियों की नीति घोषणाओं और रिर्पोटों में स्पष्ट नजर आते हैं। मूल समस्या यह है कि किसानों के लाभ के लिऐ इस क्षेत्र में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती अथवा अपर्याप्त प्रयास किऐ जाते हैं।

यदि सरकार जनवरी 1946 के दौरान तैयार की गई अपनी प्रथम नीति पर ही पूरे जोश से कार्य किया होता तो भारतीय कृषि अधिक समृद्धशाली, लाभकारी और समावेशी होती। 'भारत में कृषि और खाद्य नीति का विवरण' नामक शीर्षक में इस नीति के दस उद्देश्य थे। इनमें से एक था, उत्पादक के लिऐ लाभकारी मूल्य और कृषि मजदूरों को उचित वेतन।

जहां राज्यसभा के सत्र में एक सदस्य के प्रस्ताव का उल्लेख करना उचित होगा की कृषि समस्याओं को जानने के लिऐ सरकार द्वारा वर्ष 1926–28 के कृषि संबंधी रॉयल कमीशन की पद्धति पर एक कृषि आयोग गठित किया जाऐ। 6 मार्च, 1964 को इस प्रस्ताव पर बोलते हुऐ तमिलनाडु के एक सांसद टी.एस. अविनाशी लिंगम चैतियार ने टिप्पणी की 'हमारे पास कई आयोग हैं। उन्होंने (एन. श्री रामा रेड्डी, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले) इन आयोगों के नामों का भी उल्लेख किया। जो हम चाहते हैं वही बात उन्होंने भी कही – कार्यवाही करने के लिऐ कदम उठाऐ जाऐं'।

उन्होंने आगे कहा 'हमारे पास दर्जनों की संख्या में सिफारिशें हैं, जिन्हें फोर्ड फाऊँडेशन, खाद्यान्न जांच समिति, नालागढ़ समिति, इंडो–अमेरिका समिति और भी कई अन्यों के द्वारा की गई सिफारिशों में लगभग वही बातें दोहराई गई – सिंचाई का विस्तार, बेहतर बीजों के उत्पादन हेतु बीजों की खेती, उर्वरक, रसायन और जैविक पदार्थों का उपयोग, अच्छे औजार, बेहतर जल–प्रबंधन, पौधशाला का संरक्षण और कीटनाशकों का उपयोग, भूसंरक्षण, कारगर विस्तार सेवा और इन सबसे बढ़कर किसानों के लिऐ लाभकारी मूल्य। यदि हम अभी तक इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि या प्रगति नहीं कर पाऐ तो ऐसा नहीं की सिफारिशों में कहीं कोई कमी थी, बल्कि इन सिफारिशों को लागू न करना मुख्य कारण है'।

लगभग 53 वर्ष के पश्चात, टी.एस. अविनाशी लिंगम चैतियार की टिप्पणी और सुझाव के संबंध में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। उन्होंने नीति आयोग के उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के पैनल का एक सदस्य बनना था, इस संबंध में उन्होंने कहा 'मुझे नहीं मालूम की इस नवगठित समूह की सिफारिशों को कितना महत्व दिया जाऐगा, क्योंकि नई सरकार द्वारा कृषि खाद्य क्षेत्र के संबंध में बनाई गई विभिन्न समितियों की चार प्रमुख रिपोर्ट सरकार को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और इस पर क्या कार्यवाही हुई'।

उन्होंने इकोनोमिक टाइम्स को अलग से कहा: 'सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है न कि केवल सुझाव लेते रहने की। पिछले कुछ महिनों में ही सरकार को कई सुझाव भेजे जा चुके हैं, इसके पश्चात भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे यह नजर आता है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं कमी है'।

विशेषज्ञ पैनलों की नीतियों और सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के स्थान पर आने वाली सरकारें नऐ–नऐ वादे और योजनाऐं घोषित करती हैं, एवम् नऐ स्लोगन सुनने को मिलते हैं। मोदी सरकार ने भी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिऐ कई समितियों का गठन किया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति है। अभी तक इस समिति ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति संबंधी अपनी रिपोर्ट के 13 खंड प्रकाशित कर दिऐ हैं। व्यापक नीति सिफारिशों पर 14वा और अंतिम खंड अभी जारी होना बाकी है।

सरकार के पास अभी भी अवसर है कि वह किसानों के लिऐ एक ऐसे बड़े पैकेज की घोषणा करने पर विचार करे, जो किसी भी सरकार ने कृषि के संपूर्ण विकास के लिऐ सोचा न हो। यहां यह ध्यान अवश्य देना होगा की इस पैकेज का केन्द्र बिंदु और पूरा ध्यान किसानों और कृषि मजदूरों पर होना चाहिऐ।

---

* भारतीय कृषि के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

सही 'दिशा' की ओर

सामाजिक सुधारों को आजीविका सुधारों से संगठित करना

* श्री भरत डोगरा

शिवालिक पहाडी क्षेत्र में रस्सी बनाने वाले कारीगरों के किसान परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुऐ हैं। खटिया की बुनाई और कुर्सी एवम् मूड़ा जैसे अन्य फर्नीचर तैयार करने में प्रयुक्त रस्सी बनाने के लिऐ शिवालिक क्षेत्र के किसानों को वहां उगने वाली भाबर घास की आवश्यकता होती है। जैसा की अन्य कारीगर क्षेत्रों में होता है, वहां भी बिचौलिऐ और व्यापारी कच्ची सामग्री सस्ते में खरीद लेते थे और घास को महंगी बेचकर कारीगरों को लूटते थे।

किसानों का यह शोषण रूकने वाला नहीं था यदि एक स्थानीय सामाजिक संस्था, 'दिशा' इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इस संस्था ने घास खरीदकर रस्सी बनाने वाले कारिगरों में वितरित किया। लेकिन स्वार्थी लोग इस पर भी शांत नहीं रहे। उन्होंने जमा की गई घास में आग लगाकर इस कार्य को व्यर्थ करने के प्रयास किऐ। दिशा ने भी अपने प्रयास जारी रखे। दिशा ने विकल्प, एक अन्य जमीनी स्तर की संस्था के सहयोग से रस्सी निर्माण करने वाले कारीगरों की एक संस्था बनाई और कारीगर सीधे ही कच्ची सामग्री खरीद सकते थे, इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं ने कारीगरों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराया।

ग्रामीण विकास के लिऐ कृषि में आजिविका सुधार और सामाजिक सुधारों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु समान्यतः इन्हें अलग कोने में फेंक दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर–प्रदेश में आधारित 'दिशा' ग्रामीण आजिविका को बढ़ाने में प्रयास करती है और सामाजिक सुधारों के लिऐ भी कई प्रकार की पहल की है।

इस दृष्टिकोण का एक संबंधित पहलू है, कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च प्राथमिकता देना, अर्थात् छोटे कामगार और किसान मजदूर और इनके जैसे कारीगर। इसी वर्ग के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों और उन्हें नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करने पर अत्यधिक बल देना। इस प्रकार की स्पष्ट प्रमुखताओं को देखते हुऐ छोटे और मझौले किसानों का व्यापक स्तर पर एक मोर्चा बनाया गया है जिसमें दिशा के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता के लिऐ हजारों किसान सदस्य भी बन गऐ। ऐसा करने से दिशा के सामाजिक सुधारों के लिऐ एक मजबूत प्लैटफॉर्म भी तैयार हो गया जिसका प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समानता, लिंग औचित्य और सांप्रदायिक सदभाव बनाऐ रखना था, यही दिशा का मूल लक्ष्य है।

सुल्तानपुर जिले के सरसवा और सधौला कादिम ब्लॉक में लगभग 35 वर्ष पहले दिशा संस्था का आरंभ हुआ, समय बितने के साथ अपना मूल लक्ष्य बनाते हुऐ दिशा ने पश्चिमी उत्तर–प्रदेश और पड़ौसी राज्य उत्तराखंड़ के कई अन्य भागों में अपने कार्य फैलाऐ। दिशा का सार्वधिक महत्व सभी प्रयासों के लिऐ दिशार्निदेश देते रहना है।

प्रारंभिक वर्षों में स्वयं सहायता समूहों में महीलाऐं कैसे संगठित हुई ? इन समूहों ने बहुत कम बचत से अपना कार्य प्रारंभ किया और समय बितने के साथ छोटी–छोटी बचतें इतने स्तर तक पहुंच गई जहां से यह समूह महिलाओं को उधार राशि भी दे सकता था।

महिलाओं ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने और छोटी दुकानें खोलकर, पट्टे पर भूमि लेकर अथवा भैंस खरीदकर अपनी आजिविका बढ़ाने के लिऐ ऋण लिया। इसके पश्चात इन समूहों का अधिक ऋण दिलाने के लिऐ बैंकों से भी लिंक करा दिया गया।

दिशा द्वारा स्थापित समूह एक मात्र प्रयास नहीं था, बल्कि उन्हें इकट्ठा करना भी था, क्योंकि वे अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक वातावरण में पिछडे हुऐ थे, परंतु फिर भी अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के कारण उन्होंने पहचान बना ली। इनसे ऋण की वसूली अत्यधिक सराहनिय रही और इस कार्य के लिऐ नबॉर्ड ने दिशा को पुरस्कृत भी किया। यह समूह नियमित रूप से मिलते हैं और सामान्य हित और जन कल्याण के अन्य मामलों पर वार्तालाप भी करते हैं।

आखिरकार दिशा के कार्य को समेकित किया गया और अन्य क्षेत्रों में भी छोटे–छोटे ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किऐ गऐ। इस संबंध में प्रश्न उठाऐ गऐ कि क्या दिशा संस्था ऐसे क्षेत्र में सफल हो पाऐगी जिसका उसे कोई अनुभव या सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ये दोनों क्षेत्र किसी भी नऐ उद्योग के लिऐ अति महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी दिशा ने अपने कार्य का विस्तार करने के लिऐ विशेष प्रयास किऐ।

दिशा के संस्थापक समन्वयक के.ऐन. तिवारी कहते हैं कि इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य कोई जोखिमपूर्ण अलग कारोबार करना नहीं है, बल्कि व्यापक कल्याण उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख कार्य और लक्ष्य है। फिर भी इस संस्था का विस्तार कार्य तब तक प्रगति पर था जब तक नोटबंदी लागू नहीं हुई थी। नोटबंदी के संबंधित पहलुओं के कारण इसका कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ। लेकिन लोगों को आशा है कि इस संकट से निपट लेंगे और उनके कार्य सुचारू ढ़ंग से चलेंगे।

ऐसे क्षेत्रों में जहां विशिष्ट कृषि संबंधी सुधार कार्य आरंभ किऐ गऐ थे, वहां पर स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त अलग किसान समूह बना दिऐ गऐ। इन प्रयासों से फसल विविधिकरण परियोजना के अंतर्गत आय कैसे बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र में लाभ और कैसे बढ़ सकता है, यदि हम फसलों की अलग–अलग किस्मों को सावधानी से चुनकर लगाऐं, यह जानकारी मिली। इस पहल के एक भाग के रूप में जैविक किसान पद्धतियों, कृषि रसायनिक पर निर्भरता में कमी एवम् लागत कम करने की विधियों को अपनाने पर जोर दिया गया।

उसी समय के आस–पास दिशा ने 2 अध्ययन (स्ट्डी) भी आयोजित कराऐ।

- पहला, कुछ गांव में किसानों की बढ़ती हुई समस्याऐं और कृषि–पारिस्थितिक संकट बद्तर होता हुआ, विषय पर अध्ययन।
- दूसरा, आम के बगीचों पर परिर्वतित जलवायु का प्रभाव, विषय पर।

इस जांच परिणाम में पर्यावरण अनुकूल कृषि को अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस प्रकार भारत में जी.ऐम. फस्लों के एक गंभीर मुद्दे पर बहस होने से पहले ही दिशा ने एक स्थानीय आयोजक के रूप में जी.ऐम. फस्लों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करा लिया था, जिसमें इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी दे दी गई थी। इस सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था और एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस सम्मेलन की कार्यवाही से समयबद्ध चेतावनी दे दी थी।

दिशा संस्था ने कमजोर वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने के लिऐ भूमिहिन दलित किसानों को फसल उगाने के लिऐ भूमि वितरित की। इसके पश्चात प्रशासन ने कुछ भूमि को वापिस लेने का प्रयास किया तो दिशा ने तर्त्पता से कार्यवाही करते हुऐ विकल्प संस्था की सहायता से न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किऐ ताकि दलित किसानों के पास भूमि बनी रहे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उस भूमि को उपजाऊ बनाया था। यह दिशा – विकल्प दोनों का संयुक्त प्रयास था जिस कारण शिवालिक के रस्सी बनाने वाले कारिगरों को भी बिचौलियों के चंगुल से बचाने में सफलता प्राप्त की।

इसका कार्यक्षेत्र उत्तराखंड तक फैल चुका था तो दिशा ने टिहरी गढ़वाल जिले में कारिगरों की सहायता के प्रयास आरंभ किऐ। यहां दिशा ने अन्य कार्यों के अतिरिक्त भूकंप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में सहायता की। यमुना खादर क्षेत्र में दिशा ने एक अभियान चलाया जिस कारण वहां के प्रभावित उन हजारों किसानों को सरकार से राहत राशि उपलब्ध कराई, जिनके घर और भूमि जलभराव के कारण रहने के काबिल नहीं रह गई थी और वे बर्बादी के कगार पर थे।

दिशा का प्रमुख ध्यान महिलाओं के कल्याण पर केन्द्रित था, क्योंकि महिलाओं ने दिशा संस्था के सभी कार्यों में बेहतर भागीदारी की थी और दिशा ने इसी कारण महिलाओं के सभी कार्यों में उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया। एक अति संवेदनशील समय में जब कृषि मजदूर उच्च वेतन की मांग कर रहे थे तो दिशा और स्थानीय लोगों ने सबसे पहले महिला मजदूरों की मांगों पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पुरूष मजदूरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, जबकि महिलाऐं भी उनके जितना परिश्रम करती थी। यह एक अत्यंत कठिन संघर्ष था, किंतु अथक प्रयास करने के बाद महिला मजदूरों की मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि कराने में सफलता मिली।

विभिन्न पंचायत राज के निर्वाचनों और गांव के शहरीकरण के लिऐ नगर समितियों के निर्वाचनों में भी महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। दिशा ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिऐ अभियान चलाया ताकि ईमानदार उम्मीदवार चुने जा सके। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने कारगर महिला, विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाऐं, नेतृत्व को बनाने पर भी बल दिया और इस दिशा में कई कदम उठाऐ। पंचायती राज संस्थाओं के लिऐ निर्वाचित महिलाओं को जब भी अच्छे ढंग से कार्यसंचालन की कोई सहायता की आवश्यकता पडी तो दिशा ने इन महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता दी। उदाहरण के लिऐ सुल्तानपुर के चिलकाना गांव में लोग अब

भी याद करते हैं कि सुरैया बेगम और रज्जौ दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किऐ, जिसके लिऐ दिशा कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की थी।

जब एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, जीनत को चुनाव में भाग लेने के लिऐ रूढिवादी लोगों ने अपमानित किया तो दिशा ने उनका विरोध करने में अग्रणीय भूमिका निभाई, जबकि उन कार्यकर्ताओं को इस विरोध के लिऐ बुरी तरह से पीटा भी गया।

महिलाओं को दी गई नेतृत्व की भूमिका से दिशा के एक लक्ष्य में भी सहायता मिली कि मदिरा निषेध पर भी बल दिया गया। हालांकि यह दिशा के निर्धारित कार्यों से संबंधित नहीं था, किंतु फिर भी इस संस्था की महिला सदस्यों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि यह महिलाऐं अच्छी तरह जानती हैं कि जहां–जहां पर शराब की दुकानें खोली गई हैं, वहां पर इसका अत्यधिक सेवन होने के कारण महिलाओं की ही कठिनाईयां और समस्याऐं बढ़ती हैं।

शराब के सेवन से घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिऐ परिवार की आय कम होती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है और गैर–सामाजिक तत्व शराब की दुकानों के आस–पास इकट्ठे हो जाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पढ़ती है। यह मामला सहारनपुर जिले के पठेर गांव के प्रधान के सामने आया था, जहां पर समस्याओं में खतरनाक ढंग से वृद्धि हो चुकी थी।

महिलाओं और कार्यकर्ताओं के मजबूत समूह ने दिखा दिया की वे किसी भी प्रकार के भय और दमन से रूकने वाले नहीं हैं, और दिशा संस्था ने इस चहुंमुखी दबाव में भी अपना उत्साह बनाऐ रखा तथा शराब विरोधी कार्य में पूरा समर्थन और सहायता प्रदान की। इस घटना के माध्यम से यह भी साबित हुआ कि सामाजिक परिवर्तन, सुधार और सभी स्तरों पर समानता लाने में दिशा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दलितों के विरूद्ध भेदभाव का विरोध करने में दिशा प्रमुख रूप से एक सक्रिय संस्था है। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि पुरानी परंपराऐं और लोगों की पुरानी सोच को तोड़ना कितना कठिन कार्य था। दलित परिवारों के लिऐ भी प्रारंभ में यह अत्यंत कठिन कार्य था कि वे अपनी बिरादरी के सदस्यों को भी समान रूप से स्वीकार करें। समय बीतने के साथ–साथ यह सोच बदली और लोग सभी स्तरों पर सामाजिक समानता की आवश्यकता के प्रति सहमत हो चुके हैं। जहां पर दिशा संस्था के कार्यकर्ताओं ने कार्य किऐ वहां के गांव में इसका व्यापक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

दिशा संस्था की दार्शनिकता और कार्य प्रणाली का केन्द्र बिंदु सामाजिक सदभाव है; इसके संचालन कार्यों में हिन्दु और मुस्लिम दोनों की मिश्रित संख्या है। इन दोनों समुदायों में अच्छे संबंध बनाऐ रखने के लिऐ दिशा संस्था निरंतर प्रयास कर रही है।

यह संस्था दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से ईद और होली मनाते हैं। दिशा कार्यकर्ता दोनों ही समुदायों से संबंध रखते हैं और पारस्परिक विश्वास और सहयोग से कार्य करते हैं। उनके उदाहरण से अन्य गांव में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 फरवरी, 2020
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, फरवरी 2020

सुल्तानपुर के चिलकाना में जब दिशा ने कार्य आरंभ किया तो उस समय ग्रामीण समाज पंड़ित और मीर दो गुटों में बंटा हुआ था। कमजोर वर्ग की कम पहुंच होने के कारण कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी, सभी वर्गों में सदभाव पूर्ण संबंध बनाऐ रखने के लिऐ दिशा ने छोटे और मझौले किसानों, भूमिहीन मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को व्यापक सहयोग दिया, जिसमें महिलाओं के लिऐ महत्वपूर्ण भूमिका भी चुनी गई।

इन कार्यों और प्रयासों का परिणाम यह आया कि इन वर्गों से संबंधित अधिकतम लोगों की स्वतंत्र पहचान बनी जो भाईचारे और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी, इसके अतिरिक्त भेदभाव व पक्षपात और पृथक्करण दूर हुआ। कुछ ही वर्षों में सभी प्रकार के भेदभाव और पक्षपात दूर करना संभव नहीं है, फिर भी सामाजिक समानता की दिशा में कई महत्पपूर्ण कदम उठाऐ गऐ हैं।

सामाजिक कल्याण से संबंधित विकास कार्यों की सफलता के लिऐ इस प्रकार की सामाजिक समानता लाने का मूल कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इस महत्वपूर्ण कार्य को छोडते हुऐ केवल परियोजना के विकास पहलू को प्राथमिकता दी जाती है तो ऐसी परियोजनाओं की सफलता और उनका औचित्य निर्धारित करते हुऐ अन्य समुदायों के मन में यदि कोई शंका रह गई तो इस प्रकार की कोई भी योजना असफल हो जाऐगी, यदि सबसे पहले सामाजिक समानता की नींव नहीं रखी गई। इसी कारण बहुमुखी अनुभव सीखने के लिऐ दिशा ने इसी विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

दिशा संस्था की तीन महिला कार्यकर्ता एक दूरस्थ गांव से बस से वापिस थकी और प्यासी लौट रही थी और वे शीत पेय पीना चाहती थी। उनके पास तीन शीत पेय खरीदने के लिऐ पैसे नहीं थे, उन्होंने शीत पेय खरीदा और तीन पाईपों से वे तीनों पीने लगीं। जब वे इकट्ठी शीत पेय का सेवन कर रही थीं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इनमें से एक ब्राह्मण, एक दलित और एक मुस्लिम है। उन्होंने प्रशंसापूर्वक हां में उत्तर दिया; 'हां, दिशा संस्था निःसंदेह समानता और सामंजस्य पर आधारित नया समाज बनाने के लिऐ दिशा दर्शाती है।'

* वरिष्ठ पत्रकार, कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।